फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/00210

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द
जाति जैन
निवासी सिरोही रोड़
जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 12 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 11.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम कालन्द्री में हॉस्पीटल के उत्तर दिशा व स्टेट हाइवे मोहब्बत नगर जाने वाले रोड़ के बीच की भूमि पर जारी पट्टों से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 11.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम कालन्द्री में हॉस्पीटल के उत्तर दिशा व स्टेट हाइवे मोहब्बत नगर जाने वाले रोड़ के बीच की भूमि पर जारी पट्टों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जाये। ए. डी.एम सिरोही द्वारा उक्त सूचना ग्राम पंचायत से सम्बन्धित होने से जरिये पत्र क्रमांक 884 दिनांक 20.01.2020 द्वारा ग्राम पंचायत कालन्द्री को भेज कर अपीलांट को सूचित कर दिया है, ग्राम पंचायत के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट चाहे तो सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	225-26 13/8/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner